न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 29/2018

अपीलांट

रामाराम पुत्र भगाजी उम्र 59 वर्ष जाति मीणा निवासी लाल पोल के बाहर जालोर, तहसील व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. मूलाराम पुत्र गिरधारी
2. पुराराम पुत्र गिरधारी
3. नाथूराम पुत्र गिरधारी
4. मिश्रीमल पुत्र गिरधारी
5. सकीया पुत्र गिरधारी तमाम जातियान माली, निवासीगण जालोर तहसील व जिला जालोर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री खसाराम परिहार, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे_अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

–: निर्णय :–

दिनांक : 15.07.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/11 में पारित आदेंश दिनांक 29.06.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1675 रकबा 0.80 हैक्टेयर के संबध में अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के पूर्वजो के समय से कब्जा चला आ रहा है। तथा अपीलांट आज भी वादग्रस्त आराजी पर मौके पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट अपने परिवार के रहवास हेतु मकान का निर्माण भी करवाया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

गवाह पूर्ण नही हुए। अपीलांट एक अनूसूचित जनजाति का व्यक्ति है। तथा राज्य कर्मचारी है तथा कानून में आस्था रखने वाला है। रेस्पोडेन्टगण गलत रूप से अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से झूठा फौजदारी मुकदमा करवाया है। तथा उक्त वाद प्रस्तुत किया है। स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण को निर्णीत करने हेतु तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में उक्त तीनो बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1675 रकबा 0.80 हैक्टेयर के संबध में अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित किया। जो कि विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट की खरीदशुदा आराजी है। जिस पर रेस्पोडेन्ट वक्त खरीद से काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होने का मौखिक कथन किया है किन्तु इस संबध में कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। एवं बिना कब्जे को 188 का दावा पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1675 रकबा 0.80 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर अपीलांट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 की खरीदशुदा आराजी है। एवं उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिसे अपीलांट ने वाद पत्र एवं अपील में स्वीकार किया है। इसके विपरित अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष मौखिक कथन के अलावा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त हो। अब हस्तगत प्रकरण में विधिक कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या कब्जे के अभाव में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय है अथवा नहीं ? इस संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **फैली व अन्य** बनाम राजस्व मंडल राजस्थान व अन्य में यह प्रतिपादित किया है कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 188– कब्जे के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद खारिज किया–निचले न्यायालयो ने निर्णीत किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

प्रतिवादीगण प्रश्नगत भूमि कब्जे मे थे–एकल न्यायाधीश ने भी याचिका खारिज की और सविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत हस्तक्षेप से इंकार किया–निर्णीत, समवर्ती निष्कर्षों को यथावत रखने में त्रुटि कारित नहीं की है।" उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट अपना कब्जा साबित करने में हाजा न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असफल रहा है। एंव कब्जे के अभाव में धारा 188 का दावा पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/11 में पारित आदेंश दिनांक 29.06.2018 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली केम्प-जालोर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

1. क्रम संख्या व वर्ष ...../19.....
2. आवश्यक/साधारण .....
3. प्रस्तुत होने की तिथि .....
4. पृष्ठों की संख्या .....
5. (अ) फीस नकद रुपये में .....
   (आ) कोर्ट फीस टिकट .....
6. फोटो स्टेट कोपियर्स का नाम .....
7. प्रतिलिपि देने की निर्धारित तिथि .....
8. प्रतिलिपि तैयार होने की तिथि .....
9. प्रार्थी को सूचना देने की तिथि .....
10. प्रतिलिपि देने/भेजने की तिथि .....
11. नकलकर्ता के हस्ताक्षर .....